न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/167/2014 तारीख रजु 24.12.2014

उनवान

सूस्या पुत्र विशन्या जाति जाटव निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।

-------वादी

बनाम

छिग्गा पुत्र बिशन्या जाति जाटव निवासी शेरपुर तहसील हिण्डोन सिटी जिला करौली -------प्रतिवादी(06)

उपस्थितिः–
वादीगण की ओर से :– श्री हरिशंकर वशिष्ठ एडवाकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से :– कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा ग्राम चक शेरपुर तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 101 इस्तकरार हक, तकास्मा आराजीयात एवं हुक्म इम्तनाई दवामी पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबना पेश करने के कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी तलबाना पेश नहीं किया गया। पत्रावली दिनांक 27.11.2019 को तलबी की स्टेज पर पेश हुई। बार–बार आवाज दिलाई गई । वकील वादी उपस्थित नहीं । जिससे जाहिर होता है कि वकील वादी उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 167/2014 सूस्या बनाम छिंग्गा वगै. अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

27.11.19

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2019.12.03 17:08:37 IST
Reason: SelfAttested